अपील सूचना अधिकार संख्या 25/2022(GCMS 2022/71)(आरटीआई नं. 213763987729223) गुरजन्ट सिंह पत्रकार सतराना तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 9358277601) <u>बनाम</u> उपजिला कलक्टर, श्रीविजयनगर

<u>11.02.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गुरजन्ट सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2021 से बारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गुरजन्ट सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> आपके अधीन उपखण्ड स्तर 2020–21 में की सूचना :
>
> 1. ईंट भट्टों की सूचि का पंजीयन चक, मुरब्बा, किला, पंचायत, तहसील जिला, फर्म का नाम, मोबाईल, ... पंजीयन दिनांक तक सूची उपलब्ध करावें।
> 2. आवासीय आबादियों ... कि दूरी पर ईंट भट्टा गतिविधियों संचालन कि सुचि उपलब्ध करवायें चक ग्राम पंचायत वार्ड, मु.नं. किला सहित [illegible] से प्रति रिपोर्ट की एवं प्रशासन की [illegible] की छाया प्रतियां उपलब्ध करवाई सन् [illegible]
> 3. ईंट भट्टों का प्रदूषण रिपोर्ट प्र[illegible] पत्र 20–21

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. पानी ... की एवं रिपोर्ट प्रयोगशाला 20–21
5. कृषि भूमि पर ईंट भट्टों के संचालकों द्वारा कृषि भूमि को अकृषि भूमि को ईंटों या मिट्टी उपयोग के किया जा रहा है। इस प्रति ईंट भट्टा के फर्म व राजस्थान काश्तकार अधिनियम धारा 177 के कार्यवाहियां की रिपोर्ट की छाया प्रति हल्का वाईज उपलब्ध करवावें।
6. जी.एन.टी. .... द्वारा आये दस्ता द्वारा किन किन ईंट भट्टों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की पंचनामा रिपोर्ट की छाया प्रति उपलब्ध करवावें।
7. सिंचाई विभाग की ..एनओसी प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां
8. अकमांड कृषि भूमि पर कितने ईंट भट्टा है की गतिविधि संचालन है। सम्पूर्ण उपखण्ड में चक .... के गांव सहित सूचना एवं पंचायतो की ..एनओसी प्रमाण पत्र 2021
9. कृषि भूमि पर ईन्ट भट्टो का संचालन सूची चक पंचायत मं.न. किला न. सहित सूचना उपखण्ड स्तर 2021
10. ईंट भट्टों की कृषि भूमि रूपान्तरण पंजियन ईंट भट्टों से लेकर प्रति ईंट भट्टों की इंतकालों की हल्कावार ... सूचना देवें। बिना कनर्वजन ईंट भट्टों के विरूद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है ईंट भट्टों–पंचायत–चक–तहसील–मु.–किला के सहित सूचना।
11. ईंट भट्टों–ईन्टों की क्वाल्टी कन्ट्रोल .. से गुणवत्ता रिपोर्ट की छाया प्रतियां उपलब्ध करवावें।
12. ईंट भट्टों द्वारा संचालकों द्वारा कृषि भूमि ... कितना कितना कृषि भूमि का इस्तमाल किया जा रहा प्रति ईंट भट्टा रिपोर्ट हल्का पटवारियों से करवाकर सूचना उपलब्ध करवावें। सत्र 20–21 तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने अपने पत्रांक 1488 दिनांक 20.04.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपयुक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी गुरजन्ट सिंह का सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने पर, सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित न होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 7086–91 दिनांक 24.11.2021 द्वारा सम्बन्धित विभाग को भिजवाते हुए आदेशित किया कि सूचना नियमानुसार आवेदक को उपलब्ध करवाते हएु इस कार्यालय को सूचित करें। इसके बाद पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 8586–8592 दिनांक 03.02.2022 द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया कि आवेदन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे। जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
>
> रिपोर्ट श्रीमान्जी की सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु साद्र प्रेषित हैं
>
> -sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> श्रीविजयनगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने अपने पत्रांक 7086–91 दिनांक 24.11.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचनाओं से सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यालयों यथा तहसीलदार, राजस्व, श्रीविजयनगर, उप तहसीलदार, जैतसर, अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग सूरतगढ/अनूपगढ शाखा, श्रीगंगानगर, [illegible]षी अभियंता, गंग कैनाल, रायसिंहनगर एवं अधिशा[illegible] बोर्ड, बीकानेर को स्थानान्तरित करते हुए प्रार्थी को पत्रांक 709[illegible] दिनाक 24.11.2021 से सूचित किया गया है तथा **अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं कार्यालय के संसाधनों को प्रभावित करने वाली है तथा तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है।** सूचना का अधिकार अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए अपीलार्थी यदि कोई विशेष सूचना चाहे तो वह सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब रिकार्ड में जमा हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:04 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर